

गूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम ..... रामचन्द्र झा

दावा बाबत :- 88, 89 RTA Act

मुकदमा नम्बर :- 232/2021

निर्णय दिनांक :- 06-10-2021

वादी की ओर से वकील विनोद पुनिया की व प्रतिवादी सं0 1 की ओर से वकील उमेश मोहन की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

ये ही मोजा शिवदानपुरा के खसरा सं0 7/4 के खसरा सं0 23 की 0.7460 है, खसरा सं0 23/1 की 0.7460 है, खसरा सं0 23/2 की 0.7590 है, खसरा सं0 88 की 0.0300 है, खसरा सं0 95/1 की 0.3920 है, खसरा सं0 95/2 की 0.3920 है, खसरा सं0 95/6 की 0.3920 है, खसरा सं0 105 की 0.0840 है, खसरा सं. 237 की 0.9110 है, खसरा सं. 254 की 4.2370 है, खसरा सं 263 की 2.4780 है, खसरा सं. 277 की 3.3330 है, खसरा सं. 278 की 1.0750 है, खसरा सं0 337 की 1.5710 है, खसरा सं0 358 की 5.8050 है कुल 37.511 है कारनी खातदारी के प्रतिवादी संग रामचन्द्र के नाम में दिखता खातदारी दर्ज है मे से प्रतिवादी सं0 के बिनार काफी व प्रतिवादी सं0 के बिनार काफी के बिनार के खातदार काश्तकार धूमिल किम जासु है यदि लुमि मुमि के क ले रहन हो तो रहन मुमि होत ले उपर से ही राजस्व रिमांड में अग्रल दराभूय किमा जावे। ये ही शिवदानपुरा के खसरा सं0 143/135 के खसरा सं0 95/5 की 0.3920 में प्रतिवादी सं0 के नाम 0.131 है 2 ब्यावत रखी जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

RAS सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़, केम्प 265-1